



मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल - 462004

Website : www.mpmmandiboard.gov.in

E-mail : mdmandiboard@gmail.com

Tel: 0755-2553429

कमांक/बी-5/2/अनुज्ञा-मॉडयूल/2016-17/ 560 भोपाल दिनांक 10 नवम्बर 2016

प्रति,

अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा (M0प्र0)

विषय:-ई-(मण्डी) अनुज्ञा पत्र मॉडयूल क्रियान्वयन संबंधी।

-0-

ई-(मण्डी) अनुज्ञा पत्र मॉडयूल में जारी अनुज्ञा पत्र के आधार पर पुनः अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिये निम्नानुसार प्रक्रिया का समावेश किया गया है :-

- (01) मूल अनुज्ञा पत्र (जिसके आधार पर मंडी फीस से छूट चाही जा रही है) की ऑनलाईन प्रविष्टि ई-(मण्डी) अनुज्ञा पत्र मॉडयूल में होना अनिवार्य होगा।
- (02) मूल अनुज्ञा पत्र का सत्यापन संबंधित मंडी जिसके लिये अनुज्ञा पत्र जारी हुआ था के ऑनलाईन मॉडयूल के माध्यम से हो चुका हो।
- (03) अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिये प्रस्तूत प्ररूप-10 में वर्णित कृषि जिन्स एवं किस्म वही होनी चाहिये जो की मूल अनुज्ञा पत्र (जिसके आधार पर मंडी फीस से छूट चाही जा रही है) में उल्लेखित है।

उपरोक्तानुसार प्रक्रिया पूर्ण होने पर ही ई-(मण्डी) अनुज्ञा पत्र मॉडयूल से अनुज्ञा पत्र के आधार पर पुनः अनुज्ञा पत्र जानकारी किया जा सकेगा एवं दिनांक 10.11.2016 से यह अनिवार्य होगा कि प्रदेश की सभी मंडियाँ ई-(मण्डी) अनुज्ञा पत्र मॉडयूल से ही अनुज्ञा पत्र के आधार पर पुनः अनुज्ञा पत्र की प्रति का प्रिंट निकाल कर किताब से जारी किये जाने वाले अनुज्ञा पत्र के साथ लायसेंसी व्यापारी को प्रदान करें।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करायें।

(राकेश श्रीवास्तव)


प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कमांक/बी-5/2/अनुज्ञा-मॉडयूल/2016-17/561
प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

भोपाल दिनांक 18 नवम्बर 2016

- (01) संयुक्त संचालक (नियमन), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।
- (02) श्री ए0एन0सिद्धीकी, तकनीकी निदेशक एवं State Project Coordinator, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।
- (03) सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति जिला(म0प्र0) :-
पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुरूप तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें।


प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल